

संख्या- 5/2/एक-10-2023

प्रेषक,

राम केवल,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
लखनऊ, बस्ती, गाजीपुर, मथुरा एवं उन्नाव।

राजस्व अनुभाग-10

मई  
लखनऊ: दिनांक: 13 अप्रैल, 2024

विषय:- कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of Kin of the deceased) को ₹0 50,000/- प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय जनपदों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अहेतुक सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में राहत की वेबसाइट पर फीड/अपलोड किये गये प्रकरणों में बजट के अभाव में लम्बित दर्शित प्रकरणों के भुगतान के लिए निम्न तालिका के कॉलम-4 के अनुसार ₹0 9,50,000/- (₹0 नौ लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्न विवरण एवं शर्तों के अधीन निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित जनपदों के सम्मुख अंकित धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

| क्र०सं०                     | जनपद का नाम | बजट अभाव में भुगतान हेतु लम्बित प्रकरण | स्वीकृत धनराशि (₹0 में) |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 1                           | 2           | 3                                      | 4                       |
| 1.                          | लखनऊ        | 06                                     | 3,00,000.00             |
| 2.                          | बस्ती       | 05                                     | 2,50,000.00             |
| 3.                          | गाजीपुर     | 03                                     | 1,50,000.00             |
| 4.                          | मथुरा       | 03                                     | 1,50,000.00             |
| 5.                          | उन्नाव      | 02                                     | 1,00,000.00             |
| योग                         |             | 19                                     | 9,50,000.00             |
| (₹0 नौ लाख पचास हजार मात्र) |             |                                        |                         |

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जाय।
- (3) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का समस्त लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।



I/560220/2024

- (5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (6) माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (7) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (8) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट के सम्वन्ध में निर्गत पत्र संख्या-437/6 INST/ECI/FUNCT/MCC/2024(MCC ENFORCEMENT) दिनांक 02 जनवरी, 2024 एवं अन्य निर्गत शासनादेशों द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त निर्गत मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट में रिलीफ मेजर के सम्वन्ध में जो भी विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है, उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए राहत वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2- इस सम्वन्ध में होने वाला व्यय ₹0 9,50,000/- (₹0 नौ लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-51 के लेखाशीर्ष-2245-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पॉंस फंड से व्यय-0610-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/वी-1-294/दस-2024-231-2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally Signed by राम  
केवल

(राम केवल)

विशेष सचिव।

Date: 09-05-2024 16:48:13

संख्या- (1)/एक-10-2023-33(12)/2021, तददिनांक

Reason: Approved

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
- 4- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र0, लखनऊ।
- 6- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 30प्र0, लखनऊ।
- 7- सम्वन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 9- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (वजट आवंटन), 30प्र0 शासन।
- 10- सम्वन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 11- वित्त नियंत्रक, 30प्र0, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।
- 12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी

अनु सचिव।



**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2024-2025  
आवंटन दिनांक-17/05/2024

प्रेषण संख्या:- 512  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-512  
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड  
800 - अन्य व्यय  
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय  
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय  
(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                       |                    | 42-अन्य व्यय     | योग              |
|-------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1     | मथुरा-4217-जिलाधिकारी , --01--            | वर्तमान<br>प्रगामी | 150000<br>150000 | 150000<br>150000 |
| 2     | गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--         | वर्तमान<br>प्रगामी | 150000<br>150000 | 150000<br>150000 |
| 3     | बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--            | वर्तमान<br>प्रगामी | 250000<br>250000 | 250000<br>250000 |
| 4     | लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 300000<br>300000 | 300000<br>300000 |
| 5     | उन्नाव-4217-जिलाधिकारी , --01--           | वर्तमान<br>प्रगामी | 100000<br>100000 | 100000<br>100000 |
|       | योग                                       | वर्तमान<br>प्रगामी | 950000<br>950000 | 950000<br>950000 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ लाख पचास हजार  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया नौ लाख पचास हजार

(रजनी कान्त वर्मा)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
राहत आयुक्त संगठन  
उ०प्र० शासन